

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 13.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राजभाषा विभाग (सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना) भर्ती नियम, 1987 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक (भाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, सहायक निदेशक(भाषा), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक था समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

96

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक निदेशक (भाषा)	55* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 '15600-39100 + ग्रेड वेतन 5400'

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(5)	(6)	(7)
चयन ✓	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: वेतन बैंड-2, '9300-34800 + ग्रेड वेतन 4800' में ऐसे हिंदी प्राध्यापक जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठन के अधीन अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, ` 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4800 ` या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, ` 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600 ` या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

आवश्यक:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हो;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हो;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या परीक्षा का माध्यम हो;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या परीक्षा का माध्यम हो;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हो या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो; और

(ii) (क) केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/कानूनी संगठन/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन हिंदी शब्दावली(पारिभाषिक कार्य) के प्रयोग/उपयोजन और अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अंग्रेजी से हिंदी या विषयवेन, अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव; या

(ख) केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/कानूनी संगठन/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्षों का अनुभव।

वांछनीय:

मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवें स्तर तक संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी से भिन्न भाषाओं में से किसी एक का अध्ययन किया हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग - सदस्य 3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 14034/9/2014-रा.भा.(प्रशिक्षण)]

मंजुला सक्सेना, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 13th January, 2016

G.S.R. 13.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Official Language, (Assistant Director, Hindi Teaching Scheme) Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the

following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Language) in the Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Assistant Director (Language), Group 'A' post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post (1)	Number of post (2)	Classification (3)	Pay band and grade pay or pay scale (4)
Assistant Director (Language)	55* (2016) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial .	Pay band-3 , 15600-39100 with grade pay of 5400.

Whether selection post or non-selection post (5)	Age-limit for direct recruits (6)	Educational and other qualification required for direct recruits (7)
Selection	Not applicable	Not applicable.

Whether . age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)	Period of probation, if any (9)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods (10)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

Promotion:

Hindi Pradhypak in the pay band-2, `9300-34800 with grade pay of `4800 with two years' regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of two weeks in the relevant area from the Central Hindi Training Institute.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by any officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract):

Officers under the Central/State Governments/Union Territory Administration/Public Sector Undertakings/Universities/Recognised research Institutions/Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisation :

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department; or
 (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay band 2, `9300-34800 with grade pay of `4800 or equivalent in the parent cadre or Department; or
 (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay band 2, `9300-34800 with grade pay of `4600 or equivalent in the parent cadre or Department; and
 (b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

(i) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; or

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and

(ii) (A) Three years' experience of using/applying Terminology (Terminological Work) in Hindi and Translation Work from English to Hindi or vice-versa preferably of Technical or Scientific Literature under the Central/State Government/Autonomous Body/Statutory Organisation/ Public Sector Undertaking/ University/recognised Research or Educational Institution; or

(B) Three Years' experience of Teaching in Hindi and English or Research in Hindi or English under the Central Government/State Government /Autonomous Body/Statutory Organisation /Public Sector Undertaking /University or recognised Research or Educational Institution .

Desirable:

Studied one of the languages other than Hindi included in the eighth schedule of the Constitution at 10th level from a recognised Board.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

81

If a Departmental Promotion Committee (for considering promotion) exists, what its composition.	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman. 2. Joint Secretary, Department of Official Language - Member 3. Director, Central Hindi Training Institute - Member	Consultations with Union Public Service is necessary on each occasion.

[F. No. 14034/9/2014-OL(Training)]

MANJULA SAXENA, Dy. Secy.